

न्यायालय अथ तहसीलदार तहसील रिवाजना विभागात

क्र. 56/19

किरम मूठ

सुपु, विवाह

दिनांक दिनांक

26.08.19

56/19

धारा 91

23.7.19

उजवाळ सारखे वजाव विषय देवी पद्विज नगवारास नादि मुंठर विठ इशकपुर तहसील सुपुना विभागात सुपुना

विषय

पत्रावली आज पेश हुली। अधिकनी अनुपरिणत। मागला सीमित में इस पत्रर है कि पदवली ने सन्तत 2076 में इस आदेश की रिपोर्ट परवृत्त की है कि नाम इशकपुर की सन्ततीय भूमि नो. 60 मूठ नो. 23 रकबा 7.40 किरम नो. 60 मूठ नो. 23 में से 0.05 हेठ भूमि पर अधिकनी वजाव विषय देवी पद्विज नगवारास नादि मुंठर विठ इशकपुर तहसील सुपुना ने आवेश रूप से वाजरा करत कर अनाधिकृत अधिकनम किया गया है।

रिपोर्ट पदवली हक से प्राप्त होने पर मागला कर्न रीजिस्टर किया जाकर अधिकनी को सन्तस्थान मूठ सन्तत अधिविसय 1956 की धारा 91 के तहत नोदिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोदिस पादि पर अधिकनी अनुपरिणत हुआ।

पत्रावली में उपलव्य साक्षर/सुपु का महन्ता से मनन किया गया। अधिकनी द्वारा किया गया अधिकनी को कादिन निरगन नहीं है। ना ही निरगनों के अनुसूच है। अतः अत अधिकनी को सन्तस्थान मूठ सन्तत अधिविसय 1956 की धारा 91 के तहत अधिकनी घोषित किया जाता है। व जैर वहर रिपोर्ट पदवली पर से वेदसल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अधिकनी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फसल कर के दण्ड रवरुप अधिकनम सुदा भूमि के लगान 1.00 की 50 गुणा गुमांना सधि 270/- रु वतीर शारित वजाव किये जाते है।

तहसील सन्तत लेखाकार/मूठअधिठो/पदवली हक को वारते जमा वजावनी/वेदसली/ वसुली/ कर सधि सज कोष में जमा करवाने हेतु, लिखा जावे। मूठ अधिविठ को सन्ततीय भूमि से अधिकनीत भूमि से वारतयिक रूप से वेदसल करने हेतु, लिखा जावे। पत्रावली वाद तकनील तागिल दारिजल दफतर हो तथा नव्वर से कम होकर दर्ज फसला हो।

आज दिनांक 26.08.19 को सुपु न्यायालय सुनाया गया।

२९

न्यायालय अथ तहसीलदार तहसील रिवाजना विभागात  
 मूठ 2022... पत्रावली 56/19... मूठ  
 वि. इ. अ. अ. अ.

नासव तहसीलदार

वि. अ. अ. अ.